9

बीस रुपये कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण
निगरानी - 3185/2018/छतरपुर/भू.रा.

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि० 23.5.2018 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 23.5.18

मुकेश भार्गव 23-5-18 एडवोकेट ग्वालियर

अर्जुन सिंह पुत्र सरमन सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम पटना तहसील चंदला
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. हरी पुत्र किलकोटा कुम्हार
2. मथुरा पुत्र किलकोटा कुम्हार
3. गज्जू पुत्र किलकोटा कुम्हार
समस्त निवासीगण ग्राम पटना हाल निवासी कंठीमुहाल लवकुश नगर तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 390/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 28.4.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्वं सहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण ने तहसीलदार चंदला द्वारा रा.प्र.कं. 41/अ–6–अ/16–17 में पारित आदेश दिनांक 26.4.2017 के विरूद्ध असत्य एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित अपील

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3185/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-06-2018	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 28-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से अनावेदकगण की ओर से समय बाह्य प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य करते हुये प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । वैसे भी प्रकरण समय सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष पर किया जाना चाहिए । ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	